

मुकदमों का विवरण

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v.

नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील No.2592) 25 अगस्त, 2023

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: व्यापक घोटाले से उत्पन्न होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों में, प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों ने आवेदनों का नेतृत्व किया, जिसमें अपीलार्थी के नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा में आरोप पत्र का हिंदी अनुवाद प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने में न्यायसंगत ठहराया और अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि मध्य प्रदेश राज्य में आपराधिक न्यायालयों की एकमात्र भाषा हिंदी है और इसलिए, प्रत्यर्थियों को न्यायालय की भाषा में आरोप पत्र का अनुवाद करने का अधिकार है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.173-अखिल रिपोर्ट/आरोप पत्र की भाषा, यदि एस के अनुसार निर्धारित न्यायालय की भाषा में होनी है। 272, सीआरपीसी:

आयोजित किया गया: सी. आर. पी. सी. में कोई विशिष्ट सी प्रावधान नहीं है जिसके लिए जांच एजेंसी/कार्यालय को एस के अनुसार निर्धारित न्यायालय की भाषा में इसे दर्ज करने की आवश्यकता होती है। 272 – भले ही ऐसी आवश्यकता को एस में पढ़ा जाए। 173, यदि रिपोर्ट न्यायालय की भाषा में नहीं है तो कार्यवाहियों को दूषित नहीं किया जाएगा-न्याय की विफलता का परीक्षण ऐसे मामले में लागू करना होगा जैसा कि एस में निर्धारित किया गया है। 465, सी. आर. पी. सी.-जब रिपोर्ट और दस्तावेजों की एक प्रति अभियुक्त यू/एस को प्रदान की जाती है। 207 और/या एस। 208, अभियुक्त के लिए यह तर्क देने का अवसर उपलब्ध है कि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वितीय रिपोर्ट या बयान या दस्तावेज लिखे गए हैं-लेकिन उसे इस आपत्ति को जल्द से जल्द उठाना चाहिए-ऐसे मामले में, यदि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहा है और कानूनी सहायता का विकल्प चुने बिना अपना बचाव करना चाहता है, तो आरोप पत्र और दस्तावेजों का अनुवादित संस्करण या उक्त अभियुक्त से संबंधित प्रासंगिक भाग 307 को प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि, यह अभियुक्त के न्यायालय को संतुष्ट करने के अधीन है कि वह उस भाषा को समझने में असमर्थ है जिसमें आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है-तथ्यों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों अपीलों में अभियुक्त को आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों का अनुवाद न करने से न्याय की विफलता होगी-आक्षेपित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।[पैरा 18,19 और 22]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-आरोप पत्र न्यायालय की भाषा या उस भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा गया है जो अभियुक्त को समझ में नहीं आती है, यदि अवैध है:

आयोजित किया गया:नहीं-एक आरोप पत्र जो या तो यू/एस प्रदान की गई अवधि के भीतर दिया जाता है।167, सी. आर. पी. सी. या न्यायालय की भाषा या जिस भाषा को आरोपी नहीं समझता है, उसके अलावा किसी अन्य भाषा में कोई अन्य प्रासंगिक क़ानून अवैध नहीं है और कोई भी उस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।[पैरा 19]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -s.272**-पावर अंडर:

आयोजित किया गया:s.272 केवल सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत न्यायालय ों की भाषा से संबंधित है-राज्य सरकार की शक्ति सी. आर. पी. सी. के उद्देश्यों के लिए यह निर्धारित करना है कि उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर न्यायालय ों की भाषा क्या होगी-शक्तियां यू/एस।272 यह तय करने की शक्ति नहीं है कि जांच एजेंसियों या पुलिस द्वारा जांच के रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाएगा-जहां भी विधायिका का इरादा है, वहां एक विशिष्ट सी प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें न्यायालय को कार्यवाही में न्यायालय की भाषा का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है-रिपोर्ट/आरोप पत्र के संबंध में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।173.[पैरा 12 और 15]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -s.465**-न्याय की विफलता का परीक्षण-मुकदमे में त्रुटि, चूक या अनियमितता।

आयोजित किया गया:s.465 न्याय की विफलता के समान परीक्षण को शामिल करता है।464 कार्यवाहियों में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता से निपटने के दौरान-यह तय करते समय कि क्या मुकदमे में त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय की विफलता हुई है, न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आपत्ति कार्यवाही में पहले चरण में उठाई जा सकती थी और होनी चाहिए थी-धाराओं की उप-धारा (2) के अंतर्गत उस प्रभाव के लिए एक विनिर्दिष्ट सी प्रावधान है।465 – इस प्रकार, किसी दिए गए मामले में, यदि कुछ ऐसा जो सी. आर. पी. सी. विशेष रूप से न्यायालय की भाषा में करने की आवश्यकता है, किसी अन्य भाषा में किया जाता है, तो कार्यवाही तब तक दूषित नहीं होगी जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि चूक के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है-जबकि

[2023] 14 एस सी आर।

न्याय की विफलता के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आपत्ति जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर उठाई गई थी। [पैरा 16 और 17]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-एसएस। 211(6), 215, 228(2), 240, 272, 265, 277(ख), 279, 281, 354, 353**-न्यायालय की भाषा-संक्षेप के मुद्दे पर असर डालने वाले दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधान। [पैरा **14**] अन्य मामलों के विवरणों में विवादित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2592।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2017 के एम. सी. आर. सी. No. 20941 में ग्वालियर की पीठ के दिनांकित 20.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

सह

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2593

रूप:

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., राजन कुमार चौरसिया, पद्मेश मिश्रा, धनंजय महापात्रा, कार्तिक डे, सूरज मिश्रा, अभिषेक सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।  
सौरभ मिश्रा, एएजी, पीयूष लखनपाल, अविनाश के आर। लखनपाल, यशराज सिंह बुंदेला, पवन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओका, न्या .

1. अनुमति दी गई।

वास्तविक पहलू

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') की धारा 272 अंतर्गत राज्य सरकार के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि सी. आर. पी. सी. के प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय के अलावा किसी विशेष राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी। जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में दिया गया है, वहां 309 है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.] 310

एक राज्य में विभिन्न न्यायालय हैं। उक्त न्यायालय सत्र के न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं।

3. इन दो अपीलों में, हम मध्य प्रदेश राज्य में व्यापम घोटाले से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में अपीलार्थी-केंद्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व में दायर आरोप पत्रों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 419, 420, 468, 467 और 471 के अंतर्गत और मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किए गए हैं। एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न आपराधिक अपील में पहला प्रतिवादी। 2018 एफ. आई. की सं. 5525 ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें अपीलार्थी के नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा में आरोप पत्र का हिंदी अनुवाद प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रथम प्रतिवादी अभियुक्त का तर्क था कि वह अंग्रेजी भाषा में दिए गए आरोप पत्र को समझने में असमर्थ था। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रतिवादी एक शिक्षित व्यक्ति था, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान था। विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित है। आरोप यह है कि प्रथम प्रतिवादी को प्रवेश पत्र प्राप्त होने के बाद, किसी अन्य व्यक्ति ने उसका प्रतिलिपि करके परीक्षा दी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम प्रतिवादी के नेतृत्व में वकालतनामा अंग्रेजी में था और प्रथम प्रतिवादी ने भी अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए हस्तक्षेप किया कि राज्य में आपराधिक न्यायालयों की एकमात्र भाषा हिंदी है और इसलिए, प्रथम प्रतिवादी को न्यायालय की भाषा में आरोप पत्र का अनुवाद करने का अधिकार है।

4. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न आपराधिक अपील में पहला प्रतिवादी। 2022 का सं. 10680 भी इसी मामले में आरोपी है। उन्होंने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी इसी तरह का आवेदन किया जिसे खारिज कर दिया गया। प्रथम प्रतिवादी ने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने आक्षेपित निर्णय में कहा कि जब आरोप पत्र को आरोपी के लिए अज्ञात भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उस भाषा में आरोप पत्र का अनुवाद करने का हकदार होता है जिसे वह समझता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

5. अपीलार्थी-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दोनों आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है।

प्रस्तुतियाँ

6. दोनों मामलों में अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त उच्च शिक्षित थे और उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इसलिए, यदि आरोप पत्र अंग्रेजी भाषा में था तो अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह भी बताया कि व्यापक घोटाले के मामलों में आरोप पत्र बहुत भारी हैं और आरोप पत्रों का हिंदी में अनुवाद एक बहुत ही समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया है। 7. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हिंदी को राज्य में आपराधिक न्यायालयों की एकमात्र भाषा घोषित किया है। उनका निवेदन है कि हिंदी भाषा संहिता के प्रयोजनों के लिए है और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आरोप पत्रों का नेतृत्व न्यायालय की भाषा में किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह भी कहा कि किसी मामले में यदि अभियुक्त उस भाषा से परिचित नहीं है जिसमें आरोप पत्र दायर किया गया है, तो वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि वह पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य दस्तावेजों को समझने की स्थिति में नहीं होगा।

### हमारा दृष्टिकोण

8. मध्य प्रदेश सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए 28 मार्च 1974 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के प्रत्येक न्यायालय की भाषा हिंदी घोषित की गई। यदि हम सी. आर. पी. सी. की योजना पर विचार करते हैं, तो यह न केवल आपराधिक न्यायालयों के समक्ष प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, बल्कि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। अध्याय VI अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के लिए जारी की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। अध्याय VII न्यायालय के समक्ष चीजों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। अध्याय VIII में शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के संबंध में प्रावधान हैं। उक्त अध्याय के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत अदालतों या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.] 312

अध्याय X में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं। अध्याय IX में धारा 125 शामिल है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालयों को पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण के भुगतान का आदेश देने की शक्तियां प्रदान करती है। अध्याय 11 पुलिस की निवारक कार्रवाई से संबंधित है। बारहवें अध्याय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और संज्ञेय या गैर-संज्ञेय मामलों में जांच के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं।

9. धारा 173 अध्याय XII का हिस्सा है जिसमें एक पुलिस रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान हैं जिसे आम तौर पर आरोप पत्र के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम सी. आर. पी. सी. की धारा 173 को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

**“173.** जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट।—

(1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी की जाएगी।

(1 ए) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या 376 ई के अंतर्गत अपराध के संबंध में जांच उस तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जाएगी जिस दिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की गई थी।

(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें कहा गया है -

(क) पक्षकारों के नाम;

((ख) सूचना की प्रकृति;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;

((घ) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और, यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा किया गया है;

(ई) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां, तो प्रतिभू के साथ या उसके बिना;

(छ) क्या उसे धारा 170 के अंतर्गत हिरासत में भेज दिया गया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(ज) क्या महिला की चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी] या धारा 376 ई के अंतर्गत अपराध से संबंधित है।

((ii) अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, सूचित करेगा, जिसके द्वारा पहली बार कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी गई थी।

(3) जहां धारा 158 के अंतर्गत पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां रिपोर्ट, किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, और वह मजिस्ट्रेट के आदेशों को लंबित रखते हुए, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है।

(4) जब भी इस धारा के अंतर्गत भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके मुचलके पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे मुचलके के निर्वहन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश देगा जैसा वह समझता है।

**(5)** जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में होती है जिस पर धारा **170** लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा -

**(क)** वे सभी दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा भरोसा करने का प्रस्ताव किया है;

**(ख)** उन सभी व्यक्तियों के धारा **161** के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी भी बयान का कोई भी हिस्सा कार्यवाही के विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं है या कि अभियुक्त को इसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक हित में अनुचित है, तो वह बयान के उस हिस्से को इंगित करेगा और मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेगा कि वह उस हिस्से को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर कर दे और ऐसा अनुरोध करने के अपने कारणों को बताए।

313

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.] 314

(7) जहाँ मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसा करना सुविधाजनक लगता है, वह अभियुक्त को उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज़ की प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

(8) उप-धारा (2) के अंतर्गत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद इस धारा की किसी भी बात को अपराध के संबंध में आगे की जांच में बाधा नहीं माना जाएगा और जहां ऐसी जांच के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी और साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, तो वह मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के बारे में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा; और उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे उप-धारा (2) के अंतर्गत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। "

(जोर दिया गया) 10. जैसा कि धारा 173 की उप-धारा (2) से देखा जा सकता है, जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र अंतर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जिस अंतर्गत उप-धारा (2) अंतर्गत उल्लिखित विवरण दिए गए हैं। धारा 170 को नियंत्रित करने वाले मामले में उप-धारा (5) लागू होती है। यह तब लागू होता है जब यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्रतीत होता है कि आरोपी को विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या उचित आधार है। ऐसे मामले में, रिपोर्ट के साथ, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां अग्रेषित करने के लिए बाध्य है, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है। यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उन सभी दस्तावेजों या प्रासंगिक उद्धरणों को अग्रेषित करने का भी आदेश देता है जिन पर अभियोजन पक्ष जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा अन्य पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। धारा 173 की उप-धारा (6) विद्वत मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को उसकी प्रतियों की आपूर्ति करते समय आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री के कुछ हिस्सों को बाहर करने की शक्ति प्रदान करती है।

11. धारा 173 को धारा 207 के साथ पढ़ना होगा जो यह आदेश देता है कि पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद, यह विद्वान मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वह बिना किसी देरी के, पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां, पहली बार में, निशुल्क में प्रस्तुत करे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

सूचना रिपोर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, उस हिस्से को छोड़कर जिसके संबंध में धारा 173 की उप-धारा (6) के अंतर्गत शक्तियों का आह्वान करके विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया है, धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान और धारा 173 की उप-धारा (5) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ भेजे गए दस्तावेजों या प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियां। जब धारा 173 की उप-धारा (5) द्वारा कवर किए गए गवाहों या दस्तावेजों के बयान बहुत भारी होते हैं, तो विद्वान मजिस्ट्रेट को अभियुक्त और उसके वकील को उनकी प्रतियां प्रदान करने के बजाय उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार होता है। यह ध्यान रखना उचित है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय की भाषा में आरोप पत्रों/प्रतिवेदनों को दाखिल करना अनिवार्य बनाता है।

12. दिलचस्प बात यह है कि धारा 272 के रूप में न्यायालयों की भाषा के संबंध में प्रावधान अध्याय XXIII में एक स्थान रखता है जिसका शीर्षक "पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य" है।

यह प्रावधान उप-शीर्षक "ए.-साक्ष्य लेने और दर्ज करने का तरीका" के अंतर्गत शामिल किया गया है। धारा 272 इस प्रकार है:

“272. न्यायालयों की भाषा।—राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी।”

इस प्रकार, राज्य सरकार की शक्ति यह निर्धारित करने की है कि सी. आर. पी. सी. के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर न्यायालयों की भाषा क्या होगी। धारा 272 के अंतर्गत शक्ति यह तय करने की शक्ति नहीं है कि जांच एजेंसियों या पुलिस द्वारा जांच के रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाएगा। उच्चतम स्तर पर, उस उद्देश्य के लिए, राज्य की आधिकारिक भाषा को नियंत्रित करने वाली विधि के संबंध में प्रावधान ऐसे अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन लागू हो सकते हैं। किसी मामले में, धारा 173 की उप-धारा (2) द्वारा आवश्यक रूप से एक प्रपत्र निर्धारित करते समय, राज्य सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि आरोप पत्र राज्य की आधिकारिक भाषा में होना चाहिए। इसलिए, धारा 272 केवल सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत न्यायालयों की भाषा से संबंधित है। 13. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जहां भी विधायिका का इरादा है, न्यायालय की भाषा का उपयोग करके आवश्यकता को शामिल करते हुए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधान उन स्थितियों से भी संबंधित हैं जब अभियुक्त न्यायालय की भाषा को समझने में असमर्थ होता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओका, जे.] 316

14. हम सी. आर. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों का सारांश दे रहे हैं जिनका न्यायालय की भाषा के मुद्दे पर कुछ प्रभाव है:

क. धारा 211 की उप-धारा (6) में प्रावधान है कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। हालांकि, धारा 215 में प्रावधान है कि आरोप में किसी भी त्रुटि को मामले के किसी भी स्तर पर सामग्री के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आरोपी को वास्तव में त्रुटि या चूक के कारण गुमराह नहीं किया गया था और इसने न्याय की विफलता का कारण नहीं बनाया है। इसलिए, किसी मामले में, भले ही आरोप न्यायालय की भाषा में तैयार नहीं किया गया हो, न्यायालय की भाषा में आरोप तैयार करने में चूक तब तक सामग्री नहीं होगी जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभियुक्त को गुमराह किया गया था और इसके परिणामस्वरूप विरचित न्याय की विफलता हुई थी। बी। धारा 228 अध्याय XVIII का हिस्सा है, जो सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे से संबंधित है। धारा 228 की उप-धारा (2) में आदेश दिया गया है कि न्यायालय को अभियुक्त को आरोप को पढ़ना चाहिए और समझाना चाहिए। यह इस प्रकार है कि यदि अभियुक्त उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें आरोप विरचित गया है, तो न्यायालय को उसे उस भाषा में आरोप की व्याख्या करनी होगी जो वह समझता है। ग. धारा 240, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के मुकदमे से संबंधित अध्याय

XVIII का हिस्सा है, में प्रावधान है कि आरोप लिखित विरचित में तैयार किया जाएगा और विद्वान मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप पढ़कर समझाएगा। यद्यपि धारा इसे अनिवार्य नहीं बनाती है, आम तौर पर आरोप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अनुसार निर्धारित न्यायालय की भाषा में विरचित किया जाएगा। इसलिए, यदि अभियुक्त उस भाषा से परिचित नहीं है जिसमें आरोप लगाया गया है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को उस भाषा में आरोप की व्याख्या करे जिसे वह समझता है।

घ. यदि हम अध्याय XVIII, XIX, XX और XXI के प्रावधानों की तुलना करते हैं जो सत्र परीक्षण योग्य मामलों, वारंट परीक्षण योग्य मामलों, समन परीक्षण योग्य मामलों और संक्षिप्त परीक्षणों से संबंधित हैं, तो या तो अभियुक्त को आरोप समझाने की आवश्यकता है, या अभियुक्त को अपराध का विवरण देने की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को केवल आरोपी को उस भाषा में समझाकर पूरा किया जा सकता है जो वह समझता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

ई. केवल अध्याय 21 के अंतर्गत संक्षिप्त परीक्षणों के मामले में, धारा 265 के अंतर्गत एक विशिष्ट सी प्रावधान है कि मामले का रिकॉर्ड न्यायालय की भाषा में होगा।

च. धारा 277 (ख) एक गवाह को किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देने की अनुमति देती है जो न्यायालय की भाषा नहीं है। यह ऐसे साक्ष्य को दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

छ. पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य से संबंधित अध्याय XXIII के अंतर्गत धारा 279 के रूप में एक अभिव्यंजक प्रावधान है। धारा 279 इस प्रकार है:

**“279.** अभियुक्त या उसके समक्ष साक्ष्य की व्याख्या

प्लीडर।—(1) जब भी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जो अभियुक्त को समझ में नहीं आती है, और वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होता है, तो उसे खुली अदालत में उस भाषा में व्याख्या की जाएगी जिसे वह समझता है।

(2) यदि वह वादी द्वारा उपस्थित होता है और साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में दिया जाता है, और वादी द्वारा समझा नहीं जाता है, तो उस भाषा में ऐसे वादी के लिए इसकी व्याख्या की जाएगी।

(3) जब दस्तावेजों को औपचारिक प्रमाण के उद्देश्य से रखा जाता है, तो यह न्यायालय के विवेक पर होगा कि वह उनकी उतनी व्याख्या करे जितनी आवश्यक प्रतीत हो। ”

इस प्रकार, जहां साक्ष्य न्यायालय की भाषा में दर्ज किया जाता है जो अभियुक्त या उसके वकील द्वारा समझा नहीं जाता है, वहां न्यायालय की ओर से आरोपी या उसके वकील को, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य की व्याख्या करने का दायित्व है।

ज. धारा 281 में प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त से की गई पूछताछ को ऐसी भाषा में लिखित रूप दिया जाता है जो अभियुक्त को समझ में नहीं आती है, तो बयान की व्याख्या उसे ऐसी भाषा में करने की आवश्यकता है जो वह समझता है और ऐसी व्याख्या किए जाने के बाद, अभियुक्त को अपने उत्तरों को समझाने और जोड़ने की स्वतंत्रता है।

**आई. धारा 354 अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपराधिक न्यायालय के प्रत्येक मुकदमे में निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए।**

317

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओका, जे.] 318

धारा 353 या 354 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें न्यायालय से अभियुक्त को निर्णय की व्याख्या करने की आवश्यकता हो, भले ही अभियुक्त न्यायालय की भाषा नहीं समझता हो।

15. सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों और विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित प्रावधानों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि जहां भी विधायिका का इरादा है, वहां एक विशिष्ट सी प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें न्यायालय को कार्यवाही में न्यायालय की भाषा का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट/आरोप पत्र के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

16. सी. आर. पी. सी. में दो प्रावधान हैं जो किसी आपराधिक मामले की सुनवाई की कार्यवाही में त्रुटि, चूक या अनियमितता के प्रभाव से संबंधित हैं। पहली धारा 464 है जो फ्रेम में चूक, या प्रभार की अनुपस्थिति या त्रुटि के प्रभाव से संबंधित है। यह निर्धारित करता है कि केवल इस तरह की चूक, अनुपस्थिति या त्रुटि के आधार पर, अंतिम निर्णय, सजा या आदेश अमान्य नहीं होगा जब तक कि वास्तव में न्याय की विफलता का कारण नहीं बनता है। धारा 465 कार्यवाही में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता से निपटने के दौरान न्याय की विफलता के समान परीक्षण को शामिल करती है। यह तय करते समय कि क्या मुकदमे में त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय की विफलता हुई है, न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कार्यवाही के शुरुआती चरण में आपत्ति उठाई जा सकती थी और क्या होनी चाहिए थी। धारा 465 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उस प्रभाव अधिनियम के लिए एक विनिर्दिष्ट सी प्रावधान है।

17. इसलिए, किसी दिए गए मामले में, यदि कुछ ऐसा जो सी. आर. पी. सी. विशेष रूप से न्यायालय की भाषा में करने की आवश्यकता है, किसी अन्य भाषा में किया जाता है, तो कार्यवाही तब तक दूषित नहीं होगी जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि चूक के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। न्याय की विफलता के मुद्दे पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आपत्ति जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर उठाई गई थी।

18. अब, धारा 173 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट/आरोप पत्र की भाषा के मुद्दे पर आते हुए, सीआरपीसी में कोई विशिष्ट सी प्रावधान नहीं है जिसके लिए जांच एजेंसी/अधिकारी को इसे सीआरपीसी की धारा 272 के अनुसार निर्धारित न्यायालय की भाषा में दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि अगर ऐसी आवश्यकता को धारा 173 में पढ़ा जाता है, तो भी कार्यवाही नहीं होगी

/

[2023] 14 एस सी आर।

यदि रिपोर्ट न्यायालय की भाषा में नहीं है तो दूषित किया जाता है। न्याय की विफलता का परीक्षण ऐसे मामले में लागू करना होगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 में निर्धारित किया गया है।

19. धारा 207 अंतर्गत यह विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वह अभियुक्त को धारा 207 में प्रदान की गई रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करे। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में, धारा 208 में विद्वत मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान और स्वीकारोक्ति शामिल हैं। जब धारा 207 और/या धारा 208 के अंतर्गत अभियुक्त को रिपोर्ट और दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान की जाती है, तो अभियुक्त के लिए यह तर्क देने का अवसर उपलब्ध होता है कि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वास्तविक रिपोर्ट या बयान या दस्तावेज लिखे गए हैं। लेकिन उन्हें इस आपत्ति को जल्द से जल्द उठाना चाहिए। ऐसे मामले में, यदि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहा है और कानूनी सहायता का विकल्प चुने बिना अपना बचाव करना चाहता है, तो शायद उसे उक्त अभियुक्त से संबंधित आरोप पत्र और दस्तावेजों या उसके प्रासंगिक भाग का अनुवादित संस्करण प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यह अभियुक्त के न्यायालय को संतुष्ट करने के अधीन है कि वह उस भाषा को समझने में असमर्थ है जिसमें आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक ऐसे अधिवक्ता द्वारा किया जाता है जो वित्तीय रिपोर्ट या आरोप पत्र की भाषा को पूरी तरह से समझता है, तो अभियुक्त को अनुवाद प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अधिवक्ता अभियुक्त को आरोप पत्र की सामग्री समझा सकता है। यदि अभियुक्त और उसका अधिवक्ता दोनों उस भाषा से परिचित नहीं हैं जिसमें आरोप पत्र दायर किया गया है, तो अनुवाद प्रदान करने का प्रश्न उठ सकता है। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। उसे आरोप पत्र में उसके खिलाफ सामग्री को जानना और समझना चाहिए। यही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का सार है। अनुवाद करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों की उपलब्धता के साथ, अनुवाद प्रदान करना अब उतना कठिन नहीं होगा। उपर्युक्त मामलों में, न्यायालय हमेशा अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र का अनुवादित संस्करण प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं।

लेकिन हमें यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 या किसी अन्य प्रासंगिक क़ानून के अंतर्गत न्यायालय की भाषा या उस भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में जो आरोपी को समझ में नहीं आती है, के अंतर्गत प्रदान की गई अवधि के भीतर एक आरोप पत्र अवैध नहीं है और कोई भी उस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।

319

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम नरोत्तम धाकड़ और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.]

20. इस विषय का एक पहलू और भी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियां हैं। ये एजेंसियां व्यापक प्रभाव वाले गंभीर ऑफ़ एनस या ऑफ़ एनस की जांच करती हैं। जाहिर है, ऐसी केंद्रीय एजेंसियां, हर मामले में, सीआरपीसी की धारा 272 द्वारा निर्धारित संबंधित न्यायालय की भाषा में अंतिम रिपोर्ट देने की स्थिति में नहीं होंगी।

21. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, 2018 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 5525 से उत्पन्न आपराधिक अपील में, निचली विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य का एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि प्रतिवादी एक शिक्षित व्यक्ति है। यह एक ऐसी परीक्षा से संबंधित है जिसके लिए पात्रता शर्तों में से एक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना था। इसके अलावा, यह पाया गया कि उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता भी अंग्रेजी भाषा जानता है। 2022 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 10680 से उत्पन्न आपराधिक अपील पर आते हुए, निचली विचारण न्यायालय ने एक आदेश दर्ज किया है कि पहला प्रतिवादी-आरोपी एक विज्ञान स्नातक था जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इसके अलावा, उनके वकील अंग्रेजी भाषा से परिचित थे।

22. इसलिए, हाथ में मामलों के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों अपीलों में अभियुक्त को आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों का अनुवाद न करने से न्याय की विफलता होगी।

23. इसलिए, अपील सफल होती हैं और निर्णय के पहले भाग में जो कहा गया है, उसके अधीन, आक्षेपित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। विचारण विचारण न्यायालय शीघ्रता से विचारण के साथ आगे बढ़ेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुज्ञात गई।

दिव्या पांडे